अनुदान संख्या 47 – मंत्रिमंडल
GRANT No. 47 - CABINET

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	828,85,00	925,28,00	888,25,60	-37,02,40
पूरक	Supplementary	96,43,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹3702.40 लाख) नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹9643.00 लाख के पूरक अनुदान का 38 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹3702.40 lakhs) constituted 38 percent of the supplementary grants of ₹9643.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2013”	Major Head “2013”				
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers				
मू.	O.	82197.00	91803.00	88137.34	-3665.66
पू.	S.	9643.00			
पु.	R.	-37.00			

(I) "मंत्रिमंडल सचिवालय" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "सचिवालय (मुख्य + पीएओ)" – ₹662.32 लाख की बचत (₹5808.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परामर्शदाता लिए जाने तथा कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय" – ₹2231.10 लाख की बचत (₹15263.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपर्याप्त कार्यालय स्थल होने की वजह से रिक्त पदों के न भरे जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(गा) "प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय" – ₹4175.57 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9862.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(II) "प्रधानमंत्री कार्यालय – स्थापना" – ₹851.86 लाख की बचत (₹5323.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत तथा छुट्टी नकदीकरण दावों के कम प्राप्त होने तथा कम विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाए जाने के लिए आंशिक रूप से (₹4893.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि "दौरा खर्च – कैबिनेट मंत्री" के अंतर्गत ₹9642.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4678.06 लाख था।

(I) Under "Cabinet Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat (Main+PAO)" - saving of ₹662.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5808.00 lakhs) was due to hiring of less consultants and receipt of less claims.

(B) "National Security Council Secretariat" - saving of ₹2231.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15263.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to insufficient office space and less tours undertaken.

(C) "Office of the Principal Scientific Advisor" - saving of ₹4175.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9862.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-approval of proposals for conducting studies and non-filling up of vacant posts.

(II) "Prime Minister's Office - Establishment" - saving of ₹851.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5323.00 lakhs) was due to receipt of less leave travel concession and leave encashment claims and less foreign tours undertaken.

2. The above savings were partly (₹4893.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹9642.00 lakhs under "Tour Expenses - Cabinet Ministers". Actual excess, however, was ₹4678.06 lakhs.